रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2019/आश्विन 3, 1941
No. 562] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2019/ASVINA 3, 1941

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 687(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो ज्येष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और आशुलिपिक ग्रेड-1 भर्ती नियम, 2015 तथा भारतीय खान ब्यूरो, (आशुलिपिक ग्रेड-2 और आशुलिपिक ग्रेड-3) समूह 'ग' भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो में प्रधान निजी सचिव, ज्येष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और आशुलिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो (प्रधान निजी सचिव, ज्येष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना — ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर — उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि — भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता :— वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हो अथवा विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति — जहां केंद्र सरकार का विचार है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी प्रावधान को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट, और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. प्रधान निजी सचिव	1* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100 - 177500 रु.)	चयन पद

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100 रु.) में के ऐसे ज्येष्ठ निजी सचिव, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के बाद 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं और जिन्होंने भारतीय खान ब्यूरो अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित आशुलिपि और कंप्यूटर के क्षेत्र में चार सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति :** (क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 8 (47600-151100 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों :

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण; और

(ii) गोपनीय विषयों, शिकायतों आदि संबंधी कार्य के साथ श्रुतलेखन एवं प्रतिलेखन, आशुलिपि में तीन वर्षों का अनुभव और गोपनीय रिपोर्ट डोजियर का रख-रखाव, सम्मेलन, प्रतिनिधिमंडल, बैठक आदि का प्रबंधन करना तथा दिन प्रतिदिन के सामान्य प्रशासनिक कार्य करना।

टिप्पण - 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण - 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण - 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - **अध्यक्ष** 2. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय - **सदस्य** 3. खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो - **सदस्य** **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:-** 1. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय – अध्यक्ष 2. निदेशक, खान मंत्रालय – सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो – सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. ज्येष्ठ निजी सचिव	3* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 8 (47600-151100 रु.).	चयन पद

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति : वेतन मेट्रिक्स (44900-142400 रु.) के स्तर 7 में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में निजी सचिव के रूप में 2 वर्षों की नियमित सेवा के साथ कार्य किया हो और जिन्होंने भारतीय खान ब्यूरो अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित आशुलिपि और कंप्यूटर के क्षेत्र में चार सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो। **टिप्पण** :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो - **अध्यक्ष** 2. क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो - **सदस्य** 3. उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - **सदस्य**	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. निजी सचिव	12* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर - 7 (44900-142400 रु.)	चयन पद

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (रु. 35400-112400) के स्तर 6 के ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने भारतीय खान ब्यूरो अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित आशुलिपि और कंप्यूटर के क्षेत्र में चार सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो । **टिप्पण :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित होंगे :- 1. खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो - **अध्यक्ष** 2. क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो - **सदस्य** 3. उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - **सदस्य**	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. आशुलिपिक	77* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार होगी।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास; तथा (ii) कौशल परीक्षण मानदंड: **श्रुतलेख :** दस मिनट @ 100 शब्द प्रति मिनट **प्रतिलेखन :** चालीस मिनट (अंग्रेजी) या पचपन मिनट (हिंदी) **टिप्पण** : कौशल परीक्षा केवल कंप्यूटर पर ही प्रतिलिखित की जाएगी। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कमर्चारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता, कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाए, कमर्चारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए पद से हटने से होने वाली रिक्ति के कारण इसे केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है : (क) (i) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर धारित समकक्ष पद (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रु.) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में नियमित आधार पर 6 वर्ष की सेवा; या (iii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में नियमित आधार पर 10 वर्ष की सेवा की है; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो।

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित होंगे :- 1. उप खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो - **अध्यक्ष** 2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - **सदस्य** 3. सहायक खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो - **सदस्य**	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 22/7/2018-एम.III]

निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2019

G.S.R. 687(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Senior Private Secretary, Private Secretary and Stenographer Grade-I Recruitment Rules, 2015 and the Indian Bureau of Mines (Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III), Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Principal Private Secretary, Senior Private Secretary, Private Secretary and Stenographer in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, namely:-—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines (Principal Private Secretary, Senior Private Secretary, Private Secretary and Stenographer) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualifications.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.Principal Private Secretary.	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level -10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Selection post.

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Period of probation, if any.	**Method of recruitment :** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	Promotion failing which deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion / deputation or absorption to be made.
(11)
Promotion: Senior Private Secretary in Level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) with two years regular service rendered in the grade after appointment thereto and have successfully completed four weeks of in-service training in the field of stenography and computers conducted by Indian Bureau of Mines or any other recognised training institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** (a) Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration: (i) holding analogous post on a regular basis in parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Twelfth standard pass from a recognised Board; and (ii) three years experience in taking dictation and transcription, stenography, handling with confidential matters, complaints, etc., and maintenance of Confidential Report dossiers, arranging conferences, delegations, meetings, etc., and handling of day to day general administration works. **Note-1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note-2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note-3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - **Chairman;** 2. Joint Secretary, Ministry of Mines – **Member;** 3. Controller of Mines, Indian Bureau of Mines – **Member.** **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Joint Secretary, Ministry of Mines –**Chairman**; 2. Director, Ministry of Mines –**Member**; 3. Chief Administrative Officer, Indian Bureau of Mines –**Member**.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Senior Private Secretary.	3* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Ministerial, Gazetted, Group 'B'.	Level -8 in the pay matrix (Rs.47600-151100).	Selection post.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion.

(11)
Promotion : Private Secretary in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with two years' regular service rendered in the grade after appointment thereto and have successfully completed four weeks of in-service training in the field of stenography and computers conducted by Indian Bureau of Mines or any other recognised training institute. **Note:-** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Controller of Mines, Indian Bureau of Mines – **Chairman;** 2. Regional Mining Geologist, Indian Bureau of Mines – **Member;** 3. Deputy Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines – **Member.**	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Private Secretary.	12* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Ministerial, Gazetted, Group, 'B'	Level -7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection post.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion.

(11)
Promotion: Stenographer in level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years' regular service rendered in the grade after appointment thereto and have successfully completed four weeks of in-service training in the field of stenography and computers conducted by Indian Bureau of Mines or any other recognised training institute. **Note:-** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of :- 1. Controller of Mines, Indian Bureau of Mines – **Chairman;** 2. Regional Mining Geologist, Indian Bureau of Mines – **Member;** 3. Deputy Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines – **Member.**	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Stenographer.	77* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Ministerial, Non-Gazetted, Group, 'B'.	Level – 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) Twelfth class pass from a recognised Board; and (ii) Skill Test norms: **Dictation:** Ten minutes @ 100 words per minute. **Transcription :** forty minutes (English) or fifty-five minutes (Hindi). **Note:** The skill test will have to be transcribed only on computer. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-5 in the pay matrix (29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-4 in the pay matrix (25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
Group : 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1.Deputy Controller of Mines, Indian Bureau of Mines – **Chairman;** 2. Senior Administrative Officer, Indian Bureau of Mines – **Member;** 3. Assistant Controller of Mines, Indian Bureau of Mines - **Member.**	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 22/7/2018-M.III]

NIRANJAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.25 20:22:46 +05'30'